भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2251

दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 (29 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

कोविड पीड़ितों के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान

†2251. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य आपदा राहत कोष हेतु राज्य सरकारों को राजस्थान सहित राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) उक्त धनराशि में से राज्य सरकार द्वारा अब तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार किसी सुलभ वेबसाइट के माध्यम से कोविड-19 जैसी आपदाओं से ग्रस्त लोगों को सीधे भुगतान करने का है; और

(घ) यदि हां, दो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से **(**घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत सहायता के वितरण सहित, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार पहले से ही उनके निपटान में रखी गई राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत के उपाय करती हैं।

केंद्र सरकार ने क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर एसडीआरएफ के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, एसडीआरएफ का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग लगना, बाढ़, सूनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट हमले और पाला पड़ने एवं शीत लहर जैसी 12 आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए किया जाता है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 2251, दिनांक 20.12.2022

भारत में कोविड-19 वायरस के फैलने और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 के कंटेनमेंट उपायों हेतु एक एकबारगी व्यवस्था के तहत, वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए एसडीआरएफ का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12(iii) के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को एसडीआरएफ से 50,000 रु. की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए राज्यों को एसडीआरएफ का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 (30.11.2022 तक) के दौरान, एसडीआरएफ के अंतर्गत निधियों के आवंटन और जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II पर है।

जमीनी स्तर पर राहत का संवितरण करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार, समस्त व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुखी सहायता को केवल लाभार्थी के बैंक खातों के माध्यम से संवितरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, एनडीएमए द्वारा 11 सितम्बर, 2021 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड-19 के पीड़ितों के निकटतम संबंधी को राज्यों द्वारा अपने एसडीआरएफ से अनुग्रह राशि का संवितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाना है ।

******

अनुलग्नक-I

लोक सभा अता. प्र. सं. 2251, दिनांक 20.12.2022

वर्ष 2021-22 के दौरान, एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी निधियां

31.03.2022 तक

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ में आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधि	
		केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किश्त	दूसरी किश्त
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	895.20	297.60	1192.8	447.60	447.60
2	अरुणाचल प्रदेश	200.00	22.40	222.40	100.00	100.00
3	असम	617.60	68.80	686.40	308.80	308.80
4	बिहार	1132.80	377.60	1510.40	566.40	566.40
5	छत्तीसगढ़	345.60	115.20	460.80	172.80	172.80
6	गोवा	9.60	2.40	12.00	4.80	4.80
7	गुजरात	1059.20	352.80	1412.00	529.60	529.60
8	हरियाणा	392.80	131.20	524.00	196.40	196.40
9	हिमाचल प्रदेश	327.20	36.00	363.20	163.60	163.60
10	झारखंड	454.40	151.20	605.60	227.20	227.20
11	कर्नाटक	632.80	210.40	843.20	316.40	316.40
12	केरल	251.20	84.00	335.20	125.60	125.60
13	मध्य प्रदेश	1456.00	485.60	1941.60	728.00	728.00
14	महाराष्ट्र	2577.60	859.20	3436.80	1288.80	1288.80
15	मणिपुर	33.60	4.00	37.60	16.80	16.80
16	मेघालय	52.80	5.60	58.40	26.40	26.40
17	मिजोरम	37.60	4.00	41.60	18.80	18.80
18	नागालैंड	32.80	4.00	36.80	16.40	16.40
19	उड़ीसा	1283.20	428.00	1711.20	641.60	641.60
20	पंजाब	396.00	132.00	528.00	198.00	198.00
21	राजस्थान	1184.80	395.20	1580.00	592.40	592.40
22	सिक्किम	40.00	4.80	44.80	20.00	20.00
23	तमिल नाडु	816.00	272.00	1088.00	408.00	408.00
24	तेलंगाना	359.20	120.00	479.20	179.60	179.60
25	त्रिपुरा	54.40	6.40	60.80	27.20	27.20
26	उत्तर प्रदेश	1546.40	516.00	2062.40	773.20	773.20
27	उत्तराखंड	749.60	83.20	832.80	374.80	374.80
28	पश्चिम बंगाल	808.80	269.60	1078.40	404.40	404.40
	कुल:-	**17747.20**	**5439.20**	**23186.40**	**8873.60**	**8873.60**

****

अनुलग्नक-II

लोक सभा अता. प्र. सं. 2251, दिनांक 20.12.2022

वर्ष 2022-23 के दौरान, एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी निधियां

30.11.2022 तक

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ में आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधि	
		केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किश्त	दूसरी किश्त
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	940.00	312.80	1252.80	470.00	
2	अरुणाचल प्रदेश	210.40	23.20	233.60		
3	असम	648.80	72.00	720.80	324.40	324.40
4	बिहार	1189.60	396.80	1586.40	594.80	
5	छत्तीसगढ़	363.20	120.80	484.00		
6	गोवा	9.60	3.20	12.80	4.80	
7	गुजरात	1112.00	370.40	1482.40	556.00	
8	हरियाणा	412.80	137.60	550.40	206.40	
9	हिमाचल प्रदेश	342.40	38.40	380.80	171.20	171.20
10	झारखंड	476.80	158.40	635.20		
11	कर्नाटक	664.00	221.60	885.60	332.00	332.00
12	केरल	264.00	88.00	352.00	132.00	
13	मध्य प्रदेश	1528.80	509.60	2038.40	764.40	
14	महाराष्ट्र	2706.40	902.40	3608.80	1353.20	
15	मणिपुर	35.20	4.00	39.20	17.60	
16	मेघालय	54.40	6.40	60.80	27.20	
17	मिजोरम	39.20	4.00	43.20	19.60	
18	नागालैंड	34.40	4.00	38.40	17.20	17.20
19	उड़ीसा	1348.00	448.80	1796.80	674.00	
20	पंजाब	416.00	138.40	554.40	208.00	
21	राजस्थान	1244.80	414.40	1659.20	622.40	
22	सिक्किम	42.40	4.80	47.20	21.20	21.20
23	तमिल नाडु	856.80	285.60	1142.40	428.40	
24	तेलंगाना	377.60	125.60	503.20	188.80	
25	त्रिपुरा	56.80	6.40	63.20		
26	उत्तर प्रदेश	1624.00	541.60	2165.60	812.00	
27	उत्तराखंड	787.20	87.20	874.40	393.60	
28	पश्चिम बंगाल	849.60	283.20	1132.80	424.80	
	कुल:-	**18635.20**	**5709.60**	**24344.80**	**8764.00**	**866.00**

****